# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 111/2025

**पीठासीन अधिकारी –कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस**

अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

प्रार्थी:– 1. तहसीलदार चौहटन

बनाम

1.जोगाराम पुत्र देवाराम, जाति जाट,
निवासी चौहटन, जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

## निर्णय

दिनांक :– 10.06.2025

राजस्थान सरकार की ओर से प्रार्थी तहसीलदार चौहटन ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का चौहटन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम चौहटन की राजकीय भूमि खसरासं. 853/371 रकबा 42.15 बीघा के स्थान पर लट्ठा ट्रैस में 848/371 गलत अंकित होने से रेकर्ड दुरस्ती अपेक्षित है। ग्राम चौहटन का खसरा सं. 371 रकबा 839.14 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट राजस्थान सरकार के नाम दर्ज हुई। उक्त खसरा में सेटलमेन्ट पश्चात् न्यायालय निर्णय व आवंटन से विभिन्न खातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज की गई जिसमें खसरा सं. 371/18 रकबा 25.11 बीघा देवीसिंह पुत्र अखेसिंह कौम राजपूत सा.चौहटन की खातेदारी में दर्ज की गई। सन 1971 में चौहटन रामसर सड़क की तरमीम होने व खातेदारान के नाम खातेदारी दर्ज करने के पश्चात् शेष राजकीय भूमि रकबा 317.13 बीघा राजस्व रेकर्ड में दो अलग अलग भागों में खसरा सं. 371 रकबा 274.18 बीघा [illegible] व खसरा सं. 371/23 रकबा 42.15 बीघा सड़क के पश्चित में राजस्व रेकर्ड में [illegible] कर तदुनसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित की गई। खसरा सं. 371/18 वर्तमान संशोधित खसरा सं. 848/371 रकबा 25.11 बीघा भूमि वर्तमान में विपक्षी जोगाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी चौहटन के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खसरा सं. 371/23 वर्तमान [illegible] खसरा सं. 853/371 रकबा 42.15 बीघा राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। पुराने लट्ठा ट्रेस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:31:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

विप्रार्थी की भूमि खसरा सं. 371/18 वर्तमान संशोधित खसरा सं. 848/371 रकबा 25.11 बीघा की तरमीम मूल खसरा सं. 371 के पूर्वी सेढे पर सलंग्न परिशिष्ट ब में दर्शाये बरंग लाल स्थान पर तथा राजकीय भूमि खसरा सं. 371/23 वर्तमान संशोधित खसरा सं 853/371 रकबा 42.15 बीघा की तरमीम चौहटन रामसर सडक के पश्चित में सलंग्न परिशिष्ट ब में दर्शाये बरंग हरा स्थान पर की हुई थी एवं मौके पर कब्जा काश्त भी इसी अनुरूप है ।

पुराना लट्ठा ट्रेस जीर्ण शीर्ण व कटा फटा होने से तरमीम अदृश्य होने के कारण नये लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित करते समय राजकीय भूमि खसरा सं. 853/371 के स्थान पर 848/371 तथा विप्रार्थी की भूमि खसरा सं. 848/371 के स्थान पर 853/371 परस्पर उल्टे व गलत दर्ज हो गये। वर्तमान लट्ठा ट्रेस में तरमीम स्थिति सलंग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। पुराना लट्ठा ट्रेस से नये लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित करते समय पुराने लट्ठा ट्रेस में तरमीम अदृश्य होने से राजकीय भूमि व विप्रार्थी की भूमि के नये लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर परस्पर उल्टे व गलत दर्ज होने से उक्त नये लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम की आड़ में विप्रार्थी राजकीय भूमि पर कब्जा करने हेतु आमदा है।

अतः ग्राम चौहटन के लट्ठा ट्रेस में अंकित राजकीय भूमि के खसरा सं. 853/371 के स्थान पर 848/371 व विप्रार्थी की भूमि खसरा सं. 848/371 के स्थान पर 853/371 परिशिष्ट 'ब' में दर्शाये अनुसार दुरस्त करने का आदेश फरमावे।

तहसीलदार द्वारा पेश आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया । आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच एवं आवेदन की पैरवी हेतु राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार कार्यालय हाजा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाकर आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री फताराम गोदारा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। विप्रार्थी वकील कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते है, उन्हे तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश आवेदन स्वीकार है।

अतः विप्रार्थी के जवाब का अवसर बन्द किया गया। उपस्थित राजकीय पैराकार नायब तहसीलदार एवं विप्रार्थी वकील को सुना गया पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पैराकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पैराकार सरकार नायब तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश आवेदन अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना उचित एवं राजहित में होना बताया । विप्रार्थी भी इस हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:31:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः न्यायहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाता है वादग्रस्त आराजी ग्राम चौहटन के लट्ठा ट्रेस में अंकित राजकीय भूमि के खसरा सं. 853/371 के स्थान पर 848/371 व विप्रार्थी की भूमि खसरा सं. 848/371 के स्थान पर 853/371 परिशिष्ट 'ब' में दर्शाये अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन द्वारा आवेदन के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अनिवार्य अंग रहेगा। तहसीलदार चौहटन को निर्देश दिये जाते है कि उक्त निर्णय की पालना से सरकार का कोई हित प्रभावित नहीं होना चाहिए। निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो । संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:31:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट "ब"

मौके पर कब्जा-काश्त स्थिति अनुसार नक्शा

तहसील: नक्शा किश्तवार
मौजा: चौहटन
पैमाना 1" = 40 गट्ठा

मौका स्थिति अनुसार

(लाल निशान) ख.नं. 840/371 रकबा 25.11 बीघा विप्रार्थी जोगाराम पुत्र देवाराम के कब्जा-काश्त की भूमि

(हरा निशान) ख.नं. 853/371 रकबा 42.15 बीघा राजकीय भूमि:- राजस्थान सरकार के कब्जा-काश्त की भूमि

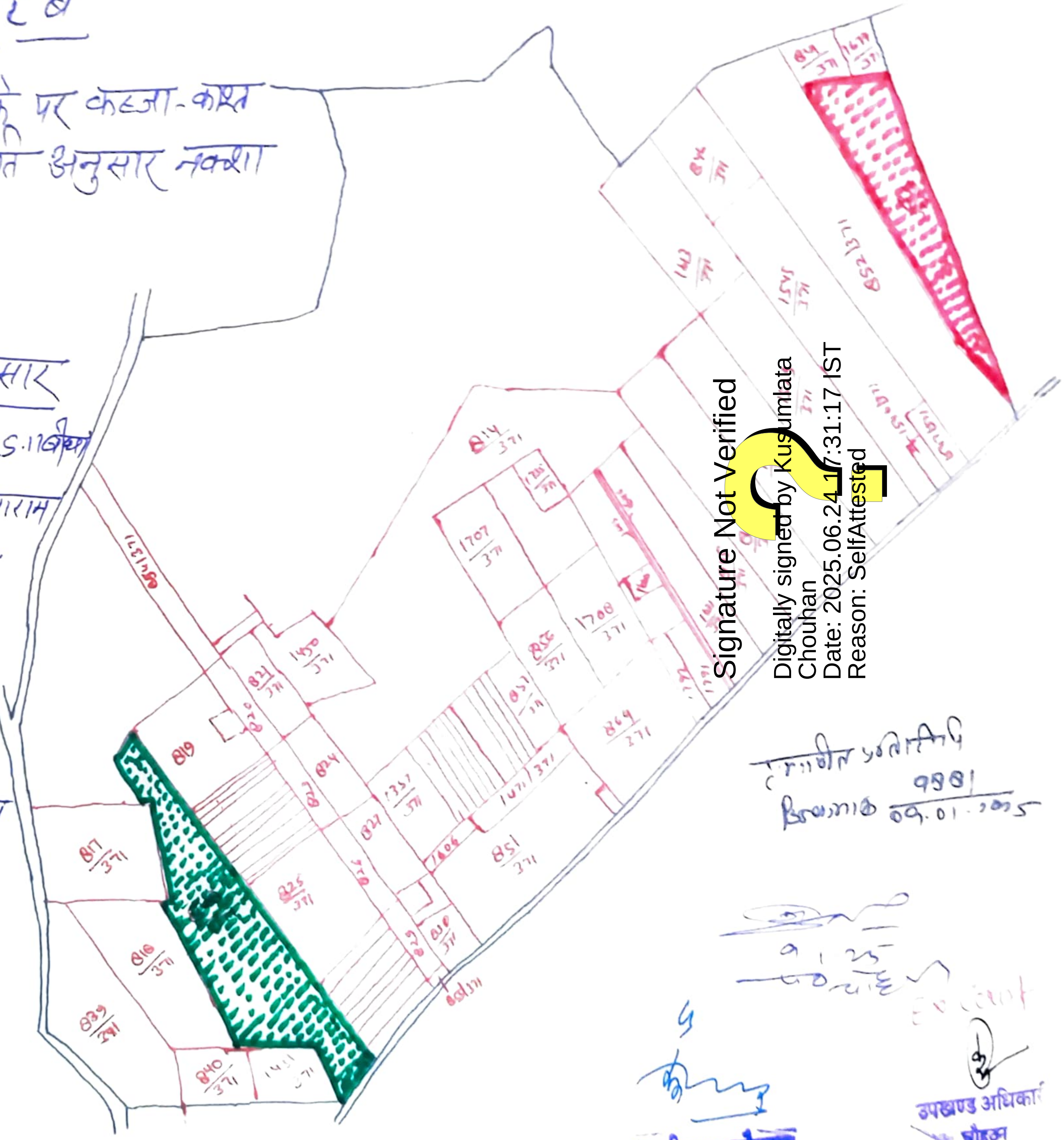


Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:31:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित प्रतिलिपि
991
दिनांक 09.01.2025

तहसीलदार चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन